**भारत सरकार**

**रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय**

**औषध विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 644**

**दिनांक 08 फरवरी, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**औषधियों के व्यापार में लाभ का मार्जिन**

**644. श्री संभाजी छत्रपती:**

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधियों की बिक्री से थोक और खुदरा विक्रेताओं को 30 प्रतिशत या उससे भी अधिक लाभ होता है क्योंकि कुछ खुदरा विक्रेता उद्धृत मूल्य पर 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक छूट देते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के आम लोगों के लिए औषधियों को वहनीय बनाने हेतु लाभ के मार्जिन को उचित सीमा तक कम करने की सरकार की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय; जहाजरानी मंत्रालय और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्री मनसुख एल. मांडविया)**

**(क) और (ख):** राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) आवश्यक दवाओं के अधिकतम मूल्यों के निर्धारण के लिए औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ, 2013) के पैरा 4, 5 और 6 में परिभाषित प्रक्रिया का पालन करता है, जिसके तहत अनुसूचित सम्मिश्रणों के लिए अधिकतम मूल्य और नई दवाओं के लिए खुदरा मूल्य औसत 'खुदरा विक्रेता के लिए मूल्य' तथा खुदरा विक्रेता के सोलह प्रतिशत लाभ के आधार पर तय किए जाते हैं। प्रत्येक निर्माता को एनपीपीए द्वारा अधिसूचित अधिकतम/खुदरा मूल्यों का पालन करना आवश्यक है। गैर-अनुसूचित सम्मिश्रणों के संबंध में, विनिर्माताओं को प्रति वर्ष 10 प्रतिशत से अधिक मूल्य बढ़ाने की अनुमति नहीं है। मूल्यों को या तो अनुसूचित दवाओं के मामले में निर्धारित किया जाता है अथवा राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा गैर-अनुसूचित दवाओं के मामले में निगरानी की जाती है और उल्लंघन के मामले में, ओवरचार्जिंग के लिए कार्रवाई की जाती है। खुदरा विक्रेताओं और थोक विक्रेताओं के लाभ की अधिकतम सीमा (कैपिंग) के संबंध में डीपीसीओ, 2013 में कोई प्रावधान नहीं है।

**(ग):**  जी, नहीं।

**(घ):** उपरोक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता है।

\*\*\*\*\*